

चलने वाले १८ और छोटे पैमाने पर चलने वाले ३६ कारखाने इस समय साइकिलें तैयार कर रहे हैं। इनमें प्रति दिन ४ से लगा कर ६२८ तक साइकिलें तैयार होती हैं।

†[THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI MORARJI R. DESAI): Eighteen units in the large scale sector and 36 units in the small scale sector are at present engaged in the production of cycles. The daily production figure varies from 4 to 628 for the units engaged in production.]

धार्मिक स्थानों सम्बन्धी भारत-पाकिस्तान की संयुक्त समिति की बैठक

३६. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धार्मिक स्थानों सम्बन्धी भारत तथा पाकिस्तान की संयुक्त समिति ने पिछले जनवरी मास में कराची में हुई अपनी बैठक में क्या निर्णय किये ;

(ख) वहां किन किन विषयों की चर्चा हुई; और

(ग) क्या इन निर्णयों पर कार्यवाही प्रारम्भ हो गई है ?

†[INDO-PAKISTAN JOINT COMMITTEE MEETING ON SHRINES HELD AT KARACHI

36. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the decisions taken by the Joint Committee of India and Pakistan on shrines at its meeting held at Karachi in the month of January last;

(b) the matters which were discussed there; and

(c) whether the implementation of these decisions has started?]

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). बैठक में ये निर्णय किए गए, लेकिन उनको अखिरी नहीं समझा जायगा :-

(१) दोनों सरकारें जिन महत्वपूर्ण पूजा-स्थानों के संरक्षण और रख रखाव की जिम्मेवारी खासतौर से लें, उनकी संख्या प्रत्येक देश में २०० से अधिक न होनी चाहिए। पूजा-स्थानों की पूरी सूची तैयार हो जाने पर इस संख्या पर फिर से विचार किया जा सकेगा।

(२) प्रत्येक देश की जिम्मेवारी यह होगी कि वह दूसरे देश में स्थित उन पूजा-स्थानों की अंतिम सूची तैयार करे जिनकी खास देखभाल दूसरे देश की सरकार करेगी। साथ ही, हर देश अपने इलाके में मौजूद महत्वपूर्ण पूजा-स्थानों की भी एक सूची दूसरे देश को देगा, ताकि जांच और तुलना हो सके।

(ग) इन निर्णयों को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है।

†[THE PRIME MINISTER AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI JAWAHARLAL NEHRU): (a) and (b). The following tentative decisions were taken at the meeting:

(i) the number of important shrines, the preservation and maintenance of which should be made the special responsibility of the Government should be limited to 200 in each country. The number is subject to revision at the time of finalisation of the lists of shrines;

(ii) each country will be responsible for the preparation of the final list of shrines in the other country, which would be placed under the special care of the Government of that country. Each country would, however, furnish the other country

with a list of important shrines in its own territory for purposes of check and comparison.

(c) Steps have been taken to implement the decisions.]

काम में न लाये गये आयात लाइसेंसों की मियाद का बढ़ाया जाना या उनका खारिज किया जाना

३७. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने ऐसे आयात लाइसेंस हैं जो कि बिना इस्तेमाल किये हुये पड़े हैं और इसका कारण क्या है; और

(ख) इनको खरिज करने अथवा इनकी मियाद बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

†[REVALIDATION OR CANCELLATION OF UNUTILIZED IMPORT LICENCES

37. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) the number of import licences lying unutilized at present and the reasons why they have not been utilized; and

(b) what is the policy regarding the revalidation or the cancellation of these licences?]

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी प्रसाद देसाई) : (क) बिना इस्तेमाल किये हुए लाइसेंसों के ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) लाइसेंस लेने वाले के लिए यह जरूरी होता है कि लाइसेंस में दी गयी मियाद के अन्दर ही उसका इस्तेमाल कर लिया जाए । पुराने आयातकों को दिये गये लाइसेंसों की मियाद बीत जाने पर उनकी मियाद

बढ़ाने का नियम नहीं है । लेकिन खुद इस्तेमाल के लिए माल मंगाने वालों को दिये गये लाइसेंसों की मियाद बढ़ाने के बारे में, हर मामले की जरूरत देख कर विचार किया जाता है । पर शर्त यह होती है कि मियाद बढ़ाने की प्रार्थना मियाद खत्म होने से पहले की जाए और उसके उचित होने के काफी कारण बताय जाये । लाइसेंसों को खारिज नहीं किया जाता बल्कि नियत मियाद के अंदर अगर लाइसेंस काम में न लाया जाए, तो वह अपने आप खारिज हो जाता है ।

†[THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI MORARJI R. DESAI): (a) Precise figures of unutilised licences are not available.

(b) It is incumbent on the part of the licencees to utilize the licences within the validity period specified therein. Licences issued to Established Importers are not, as a rule revalidated. Revalidation of licences issued to Actual Users is, however, considered on merits provided such a request is made before the expiry of the licence giving sufficient justification. Licences are not cancelled, but they automatically stand cancelled if they are not utilized within the validity period prescribed therein.]

भारत, अमरीका व नेपाल के मध्य त्रिदलीय समझौता

३८. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल में सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में भारत अमरीका व नेपाल के बीच इस वर्ष जनवरी के आरम्भ में एक त्रिदलीय समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार इन सम्बन्ध में कितना धन व किस प्रकार खर्च करेगी ; और